तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व ... जो इ... तारीख
18.5.16	पत्रावली पेश हुई। बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10(2) CPC सुनी गई। वकील प्रतिवादीगण ने जाहिर किया कि प्रतिवादिया संख्या 3 व 4 को वादी के पक्ष में पक्षकार संयोजित किया जाकर वाद में अग्रिम कार्यवाही की जावे। वकील वादी ने जाहिर किया कि प्रतिवादिया संख्या 3 व 4 की ओर से माननीय न्यायालय में एक वाद संख्या 140/2015 रतनानी श्रवण देवर बनाम दीपेन्द्र सिंह विचाराधीन है जिसमें प्रतिवादिया संख्या 3 व 4 दोनों वादिनी है ऐसी स्थिति में प्रतिवादिनीगणों को वादी के पक्ष में शामिल नहीं किया जा सकता। हमने बहस का मनन किया एवं न्यायालय में विचाराधीन पत्रावली क्र. 140/2015 रतनानी श्रवणदेवर बनाम दीपेन्द्र सिंह का अवलोकन किया जिससे स्पष्ट है कि प्रतिवादिनीगण संख्या 3 व 4 की ओर से न्यायालय में दावा विचाराधीन है ऐसी स्थिति में प्रतिवादिनीगणों का आवेदन अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10(2) CPC खारिज किया जाता है। वादिनीगण की ओर से इस न्यायालय में दिनांक 12.8.2015 को एक प्रार्थना पत्र कि इस दावे को हम आगे नहीं चलाना चाहती है तथा न्यायालय से कोई रिलीफ नहीं चाहते दावा खारिज करवाना चाहती हैं वादिनी के निवेदन पर दावा खारिज/खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुदा होकर नम्बरों से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।	

उपखण्ड अधिकारी, [illegible]